पत्रांक संख्या–3/आर–1–152/02 का0 3434/
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव!

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 9-10-07

विषयः– सेवा संवर्गों में आपसी वरीयता निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त और प्रक्रिया।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक–15784, दिनांक–26.08.72 तथा पत्रांक–1509, दिनांक–2.3.2005 के प्रसंग में कहना है कि पत्रांक–1509, दिनांक–2.3.2005 के तहत पत्रांक–15784, दिनांक–26.8.72 की कंडिका–3 की उप कंडिका-(vi) को दिनांक–26.8.72 के भूतलक्षी प्रभाव से ही विलोपित कर दिया गया है। इस कारण दिनांक–26.8.72 के बाद से दिनांक–2.3.2005 के पूर्व तक जितने पूर्व सैनिक वरीयता का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नति पाये हैं उन सबकी वरीयता एवं प्रोन्नति का पुनरीक्षण अपेक्षित हो जाता है। यह न्यायसंगत नहीं पाया गया है। यदि किसी भी नियम के अंतर्गत कोई सुविधा किसी को दे दी जाती है तो बाद में बनाये गये नियम से वह कार्यान्वित अंश प्रभावित नहीं होता है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 11201/2001 (डा0 कैप्टन कामेश्वर प्रसाद सिंह बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक–04.05.05 को पारित आदेश और सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 16064/2006 (विजय कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक–24.07.07 को पारित आदेश में भी निदेश दिया गया है कि उक्त परिपत्र का तत्लक्षी प्रभाव (Prospective effect) ही हो सकता है।

2. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत इस विभाग के पत्रांक–1509, दिनांक–2.3.2005 की कंडिका–4 को संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि पत्रांक–15784 दिनांक–26.08.72 की कंडिका–3 की उप कंडिका–(vi) को दिनांक–02.03.05 के प्रभाव से विलोपित समझा जायेगा।

3. कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी) 9.10.2007
सरकार के सचिव